

## आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1— सेवा का नाम : ब्लाक संसाधन व्यक्ति, जनपद.....
- 2— अभ्यर्थी का नाम : श्री/सुश्री.....
- 3— जन्म तिथि : (हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार).....
- 4— पिता/पति का नाम: .....
- 5— शैक्षिक योग्यता : .....
- 6— कम्प्यूटर पर कार्य करने की क्षमता की पुष्टि में प्रमाण-पत्र का विवरण .....
- 7— अनुभव (सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्राप्त प्रशिक्षण एवं कृत सोशल आडिट का विवरण) : .....
- 8— मूल निवास का पता, विकास खण्ड एवं जनपद सहित : .....
- 9— पत्राचार का पता, मोबाइल नं० तथा ई-मेल (यदि हो): .....

अभ्यर्थी की  
स्वहस्ताक्षरित फोटो

अभ्युक्ति— मूल निवास, शैक्षिक योग्यता, अनुभव (सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्राप्त प्रशिक्षण/कृत कार्यवाही) की पुष्टि में स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र/अभिलेख की प्रति संलग्न करें। मूल निवास के प्रमाण हेतु निर्वाचन परिचय पत्र या आधार कार्ड भी मान्य होगा।

संलग्नकों का विवरण

- 1—.....
- 2—.....
- 3—.....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक

### आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी :

- **शैक्षिक अर्हता:**— इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।
- **आयु:**— 01 जुलाई, 2019 को न्यूनतम आयु 40 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष के बीच हो।
- जन समस्याओं से संबंधित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो।
- कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्षता हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हो।
- अभ्यर्थी उसी जनपद का निवासी हो।
- निदेशालय के सौजन्य से सोशल आडिट से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त अथवा सोशल आडिट की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों तथा मनरेगा जॉबकार्डधारी के परिवार के सदस्यों को वरीयता दी जाएगी।
- पैनल 31 मार्च, 2021 तक के लिए मान्य होगा। इस तिथि के बाद यह पैनल स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्लाक संसाधन व्यक्ति के रूप में पैनल पर रखे गए व्यक्ति की सेवाएं किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी नहीं है और न ही भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए उनकी कोई हकदारी होगी। पैनल पर रखे गए व्यक्ति को किसी भी समय बिना नोटिस दिए पैनल से हटाया जा सकता है।
- ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल बनाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में संविदा पर कार्यरत ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटरों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था से पूर्णतया अतिरिक्त होगी तथा मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगी।
- ब्लाक संसाधन व्यक्ति को प्रति सोशल आडिट रू० 2000/- व्यवसायिक शुल्क तथा रू० 500/- व्यवसायिक यात्रा शुल्क के रूप में अनुमन्य होगा।
- जिला विकास अधिकारी कार्यालय में स्पीड पोस्ट से आवेदन पत्र पहुँचने की अंतिम तिथि : 10 जनवरी, 2020।